17

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 466-तीन/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 7-2-2014 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण 50/2013-14 अपील

1- एहसानअली बल्द बाजिद अली
2- कुदरत अली बल्द बाजिद अली
3- श्रीमती नजमुन बेगम पत्नि बाजिद अली
तीनों निवासी मेडियारास तहसील अनुपपुर
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री टी0ए0काजी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 50/2013-14 अपील (निगरानी) में पारित आदेश दिनांक 7-2-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने कलेक्टर अनूपपुर को इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 25-3-2007 प्रस्तुत किया कि ग्राम चकेठी तसील अनूपपुर की भूमि सर्वे कमांक 415 रकबा 20-40 एकड तथा सर्वे कमांक 416 रकबा 6-24 एकड़ मिसल खतौनी वर्ष 1983-84 में पड़ती कदीम किस्म बगार, वर्ष 1958-59 की खतौनी में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज रही है तथा वर्ष 1978-79 के पूर्व राजस्व अभिलेख में म0प्र0शासन चरागाह दर्ज है। मध्यप्रदेश शासन की चरागाह अंकित भूमि को

सक्षम अधिकारी से नोईयत परिवर्तन कराये बिना भूमि सर्वे क्रमांक 415/2 रकबा 3–00 एकड़ तथा सर्वे क्रमांक 416/2 रकबा 4–75 एकड़ अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर का प्रकरण क्रमांक 6 अ–1/88–89 आदेश दिनांक 19–4–89 अंकित कर एहसान अली एंव कुदरत अली के हित में आवंटित होना अंकित है । वर्ष 1988–89 के दायरा पंजी में प्रकरण का दायरा है परंन्तु प्रकरण पर पटटा दिये जाने के संबंध में विवरण अंकित नहीं है। इसी प्रकार नाजुमन बेगम पत्नि बाजिद अली के नाम कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और न किसी प्रकार का पटटा आदि दिये जाने का विवरण अंकित है। ग्राम चकेठी के खसरा क्रमांक 415/3 रकबा 10.00 एकड़ नाजुमन बेगम पत्नि बाजिद अली निवासी मेडियारास के नाम वर्ष 89–90 के खसरा में दर्ज है इन भूमियों का पटटा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 7 अ–1/ 88–89 आदेश दिनांक 19–4–89 व्दारा भूमिस्वामित्व का पटटा जारी किया गया है और यह प्रकरण उपलब्ध भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इनके स्वत्वाकंन की कार्यवाही संदिग्ध है इसलिये व्यवस्थापन पटटा निरस्त किया जाने योग्य है।

उक्त जॉच प्रतिवेदन पर से कलेक्टर अनूपपुर ने आवेदकगण के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 25/2006–07 दर्ज कराया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 20–8–2009 पारित किया एंव ग्राम चकेठी की भूमि सर्वे क्रमांक 415/2 रकबा 3–00 एकड़ तथा सर्वे क्रमांक 416/2 रकबा 4–75 एकड़ पर सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित किये जाने की कार्यवाही विधि विरूद्व पाने के आधार पर तथा आवेदक क–3 के नाम से ग्राम चकेठी की आराजी खसरा नंबर 415/2 रकबा 10.00 एकड़ अनाधिकृत रूप से सक्षम अधिकारी के आदेश के बिन भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित किये जाने की कार्यवाही विधि विरूद्व पाने से निरस्त करते हुये राजस्व अभिलेखों से आवेदकगण का नाम विलोपित करने एंव भूमि को राजस्व अभिलेख में दिनांक 19–4–89 की पूर्व की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन चारागाह के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये।

कलेक्टर अनूपपुर के आदेश दिनांक 20–8–2009 के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई (प्रस्तुतकार व्दारा लेखन त्रृटि से अपील लिख दिया गया) जो प्रकरण क0 50/2013–14 निगरानी पर

पॅजीबद्ध कर पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दि0 7–2–2014 पारित किया गया तथा निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के क्रम में आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये हैं। शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी तर्को में बताया है कि संहिता की धारा 57(2) के अंतर्गत उपखंड अधिकारी व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है। सन 1989 के वाद 2007 में 18 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी विलम्ब से की है। ग्राम चकेठी की भूमि सर्वे क्रमांक 415/2 रकबा 3–00 एकड़ तथा सर्वे क्रमांक 416/2 रकबा 4–75 एकड़ आवेदकगण क्रमांक 1 व 2 के नाम तथा आवेदक क्रमांक 3 के पिता अब्दुल गफफार की खेती की जमीन थी जो तत्कालीन इलाकेदार सोहागपुर व्दारा अब्दुल गफ्फार से नजराना लेकर पटटा प्रदान किया था। अब्दुल गफफार की मृत्यु के वाद तत्कालीन रीवा राज्य कानून के अंतर्गत आवेदकगण को उत्तराधिकार प्राप्त हो गया था तथा आवेदकगण का नाम राजस्व विभाग के कागजातों में अंकित चला आया, परन्तु राजस्व विभाग से स्वामित्व का पटटा प्राप्त न होने से आवेदक क्रमांक 1 व 2 ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(2) के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन दिया जिस पर से दिनांक 19–4–1989 को आदेश देकर भूमिस्वामी स्वत्व दिया गया है। शिकायती आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर ने अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 22–8–05 को जांच का आदेश दिया है और अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण से पूछताछ किये बिना झूॅठा प्रतिवेदन कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है कि भूमि चारागाह है जबकि भूमि का पटटा धारा 57 (2) के अंतर्गत 19–4–89 को पटटा दिया गया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा बताये अनुसार कि धारा 57(2) के अंतर्गत उपखंड अधिकारी व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है, पर विचार किया गया। डा0हरिहर निवासी द्विवेदी कृत त्रयोदस

संस्करण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 की टिप्पणी उ इस प्रकार है :–

उ – अपील तथा पुनरीक्षण का वर्जन – इस धारा की उपधारा 4 व्दारा उपखंड अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील या पुनरीक्षण का वर्जन किया गया है, परन्तु यह वर्जन उपधारा 3 के अधीन सिविल वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् ही लागू होगा। यदि ऐसा सिविल वाद प्रस्तुत न किया जाए तब अपील या पुनरीक्षण पर कोई बर्जन नहीं होगा। किन्तु इन दोनों उपचारों का लाभ साथ नहीं लिया जा सकता। भॅतावाई विरूद्व उपखंड अधिकारी 2003 रा0नि0 240 उच्च न्यायालय। स्पष्ट है कि आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत उक्तानुसार तर्क भ्रमपूर्ण होने से माने जाने योग्य नहीं है।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी तर्को में यह भी अंकित किया है कि संहिता की धारा 57 (2) के अंतर्गत उपखंड अधिकारी व्दारा पारित आदेश सन 1989 के वाद 2007 में 18 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी विलम्ब से की गई है। इस आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ने लेखी बहस में स्वयं् स्वीकार किया है कि शिकायती आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर ने अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 22–8–05 को जांच का आदेश दिया है अर्थात जिला प्रशासन के समक्ष चरागाह भूमि का छिन्न भिन्न किया जाना तभी उजागर हुआ, जबकि क्षेत्रीय जनता अनूपपुर के कमलेश पटैल एंव अन्य 23 व्यक्तियों का हस्ताक्षरित शिकायती आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत हुआ और कलेक्टर अनूपपुर ने शिकायती आवेदन के तथ्यों की जांच कर अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर से जांच प्रतिवेदन मॅगाया, जिस पर से आवेदकगण के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण 22–8–2007 को पॅजीबद्व हुआ है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (1) इस प्रकार हैं –

धारा 50 (1) मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार व्दारा आवेदन दिए जाने पर या आयुक्त या बंदोवस्त आयुक्त या कलेक्टर या बंदोवस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से किसी ऐसे मामले का जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐवी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके या उनके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी व्दारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो और जिसमें उनकी कोई अपील न होती हो, अभिलेख मॅगा सकेगा ।

1. भेरूलाल विरूद्व किशनलाल 1990 रा0नि0 30 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करने में परिसीमा का बर्जन नहीं है।
2. श्रीमती छोटीवाई विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 2009 रा0नि0 357 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत है कि गलत प्रविष्टियों के बारे में सूचना अभिप्राप्त होने के तुरन्त वाद पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया गया, इसे विलम्बित नहीं कहा जा सकता।
3. श्रीमती रामरती विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 2013 रा.नि. 390 (उच्च न्यायालय) का

न्याय दृष्टांत है कि समस्त मानकों से वाहर पारित आदेश के विरूद्व पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने में परिसीमा का प्रश्न नहीं है।

विचाराधीन मामले की भी यही स्थिति है आम नागरिकों के उपयोग की व पशुओं के चरागाह के लिये आरक्षित भूमि बिना नोईयत परिवर्तन किये अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 7 अ–1/88–89 आदेश दिनांक 19–4–89 का उल्लेख कर शासकीय अभिलेख में कर दिये गये अंकन वावत् प्राप्त शिकायती आवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से पुष्टिकरण होने के तत्काल वाद कलेक्टर अनूपपुर ने उनकी जानकारी में आने के वाद स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज करने में त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 7–2–2014 पारित करते समय कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है और इन्हीं कारणों से आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा स्वमेव निगरानी विलम्ब से किये जाने वावत् उठाई गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

7/ प्रकरण के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि वाद विचारित भूमि मिसल खतौनी वर्ष 1983–84 में पड़ती कदीम किस्म बगार, वर्ष 1958–59 की खतौनी में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज रही है तथा वर्ष 1978–79 के पूर्व राजस्व अभिलेख में म0प्र0 शासन चरागाह दर्ज है।

1. **माननीय उच्च न्यायालय का हरिकृष्ण विरूद्व म0प्र0राज्य 2007 रा.नि. 246 का न्याय दृष्टांत है कि ग्रामीणों और पंचायत ने व्यपवर्तन का विरोध किया, चरनोई भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं की जा सकती।**
2. **प्रोविन्शयल गवर्नमेंट सी.पी. विरूद्व गोविन्दराव A.I.R. 1949 नाग. 753 का न्याय दृष्टांत है कि मात्र लम्बा कब्जा राज्य सरकार के विरूद्व किसी व्यक्ति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान राज्य सरकार के स्वामित्व का किया जाएगा।**

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 58 के अंतर्गत प्रत्येक कृषि भूमि पर भू राजस्व के भुगतान का दायित्व है। दिनांक 2–10–1959 के वाद भी यदि आवेदकगण स्वयं् को वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी होना बताते है तब प्रमाण में वर्ष 1959 से 1989 की निरन्तरता में वर्ष दर वर्ष भू राजस्व के भुगतान की रसीदें प्रस्तुत करना थी, जो उन्होंने नहीं की है। इसीसे प्रमाणित है कि म0प्र0शासन की चरागाह अंकित भूमि पर

आवेदकगण का स्वत्व नहीं है।

8/ आवेदकगण के अभिभाषक ने यह भी बताया है कि ग्राम चकेठी की भूमि सर्वे कमांक 415/2 रकबा 3–00 एकड़ तथा सर्वे कमांक 416/2 रकबा 4–75 एकड़ आवेदकगण कमांक 1 व 2 के नाम तथा आवेदक कमांक 3 के पिता अब्दुल गफफार की खेती की जमीन थी जो तत्कालीन इलाकेदार सोहागपुर व्दारा अब्दुल गफ्फार से नजराना लेकर पटटा प्रदान किया था। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से इसका पुष्टिकरण नहीं होता है अपितु खसरा/खतौनी अभिलेख यह पुष्टी करते हैं कि यह भूमि मिसल खतौनी वर्ष 1983–84 में पड़ती कदीम किस्म बगार, वर्ष 1958–59 की खतौनी में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज रही है तथा वर्ष 1978–79 के पूर्व राजस्व अभिलेख में म0प्र0 शासन चरागाह दर्ज है। अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर का प्रकरण कमांक 6 अ–1/88–89 आदेश दिनांक 19–4–89 अंकित कर एहसान अली एंव कुदरत अली के हित में आवंटित होना अंकित किया गया है । वर्ष 1988–89 के दायरा पंजी में प्रकरण का दायरा है परन्तु प्रकरण पर पटटा दिये जाने के संबंध में विवरण अंकित नहीं है और इस वर्ष के दायरे में नाजुमन बेगम पत्नि बाजिद अली के नाम कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और न किसी प्रकार का पटटा आदि दिये जाने का विवरण अंकित है। ग्राम चकेठी के खसरा कमांक 415/3 रकबा 10.00 एकड़ नाजुमन बेगम पत्नि बाजिद अली निवासी मेडियारास के नाम वर्ष 89–90 के खसरा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण कमांक 7 अ–1/88–89 आदेश दिनांक 19–4–89 व्दारा भूमिस्वामित्व के रूप में पटटा जारी किया जाना अंकित किया गया है और यह प्रकरण उपलब्ध भी नहीं है।

प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि यदि आवेदकगण के हित में तत्कालीन इलाकेदार सोहागपुर व्दारा जमींदारी काल में पटटा दिया गया और जमींदारी समाप्ति विधान 1952 के वाद एंव 2–10–1959 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रभावशील होने से अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के समक्ष वर्ष 88–89 में संहिता की धारा 57 के अंतर्गत अनुचित विलम्ब से अर्थात 1952–1988 =36 वर्ष वाद आवेदन क्यों दिया गया एंव सन् 1959 में संहिता प्रभावशील होने के वाद धारा 57 (2) के अंतर्गत आवेदन समय रहते क्यों नहीं दिया गया आवेदकगण समाधान नहीं करा सके हैं एंव आवेदकगण की ओर से 36 वर्ष के

विलम्ब से दिये गये आवेदन पर समाधान भी नहीं करा सके है। आम नागरिकों के उपयोग की व पशुओं के चरागाह के लिये आरक्षित भूमि का बिना नोईयत परिवर्तन कराये आवंटन करना एंव अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर का संदेहास्पद आदेश आवेदकगण को अनुचित लाभ पहुंचाने की श्रेणी में प्रतीत होता है जिसके कारण आवेदकगण व्दारा निगरानी में दिये गये आधार व्यर्थ प्रतीत होते है और इन्हीं कारणों से आवेदकगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के पात्र नहीं है।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 50/2013–14 अपील (निगरानी) में पारित आदेश दिनांक 7–2–2014 एंव कलेक्टर अनूपपुर व्दारा प्रकरण कमांक 25/2008–09 स्वमेव पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 20–8–2009 के निष्कर्ष समरूप होने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर